

[2026] 3 एस.सी.आर. 231 : 2026 आई.एन.एस.सी. 162

रोहित जांगड़े

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

(दांडिक अपील संख्या 689/2026)

17 फरवरी 2026

[संजय कुमार और के. विनोद चंद्रन, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ प्रश्न:

क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, परिस्थितियों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला थी जो केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना की ओर इंगित करती थी और इसमें किसी अन्य परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं बचता था; क्या अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला विचारण न्यायालय का आदेश और उसकी पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाना चाहिए।

शीर्ष-टिप्पणियाँ

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 27 -पुलिस अभिरक्षा में न होने के दौरान अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन, धारा 27 की परिधि से बाहर -उच्च न्यायालय ने 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के सिद्धांत के आधार पर अपनी छह वर्षीय सौतेली पुत्री की

हत्या के लिए अभियुक्त, सौतेले पिता की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की; अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना पर बरामद की गई बच्ची के जले हुए अवशेषों से राख और हड्डियों के अवशेष; एक नहर से बरामद खोपड़ी और दांतों का बालिका के नैसर्गिक माता-पिता के नमूना डीएनए प्रोफाइल से मिलान होना -हस्तक्षेप:

अभिनिर्धारित किया गया: कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला विचारण न्यायालय का आदेश और उसकी पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है -तथ्यों पर, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत पूरी तरह विफल रहता है -धारा 27 के तहत कथित तौर पर की गई बरामदगी भी विसंगतियों से भरी है -धारा 27 किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए प्राप्त सूचना के बारे में बात करती है जिससे किसी तथ्य की खोज होती है जिसका विचारण में प्रमाण सक्षम हो सके -कथन के समय अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था और इसलिए यह धारा 27 के दायरे से बाहर है - जो निस्संदेह स्थापित हुआ है वह केवल उस बच्ची की मृत्यु है जिसके कशेरुका और दांत, जो एक नहर से बरामद किए गए थे, नैसर्गिक माता-पिता से लिए गए नमूने से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल के साथ मेल खाते हैं -अभियुक्त का ज्ञान, जिसके कारण हड्डियों के अवशेषों का पता चला, यद्यपि धारा 27 के तहत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी धारा 8 के तहत स्वीकार्य साक्ष्य होगा, जो अपने आप में दुर्बल साक्ष्य

है -धारा 8 के तहत साक्ष्य केवल संपुष्टि प्रदान कर सकता है और अपने आप में दोषसिद्धि का परिणाम नहीं हो सकता -अभियुक्त की पिछली गिरफ्तारी और कारावास के संबंध में संदेह भी बिना किसी उचित संदेह के दोष की परिकल्पना खोजने में गंभीर कठिनाई पैदा करेगा -लंबी अवधि जब लापता बच्ची के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी और यह तथ्य कि किसी ने अभियुक्त से पूछताछ नहीं की थी, इसके बावजूद कि परिवार और पुलिस को बताया गया था कि वह अभियुक्त के साथ गई थी, परिणाम को अभियुक्त के पक्ष में झुका देता है; विशेष रूप से चूंकि उसे दिनांक 08.10.2018 को मुक्त कर दिया गया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से दो दिन पहले -इसके अलावा, चूंकि 'शव' (शव) बरामद नहीं हुआ था, इसलिए मृत्यु का कोई समय निर्दिष्ट नहीं है -अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया -दोषमुक्त किया गया। [कंडिका 10, 12, 18, 19]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 27, 8:

अभिनिर्धारित किया गया: कि ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है जिससे यह पता चले कि अभियुक्त, जो अपनी पत्नी के साथ लापता होने की शिकायत दर्ज कराने गया था, पर भी बच्ची के लापता होने के लिए जिम्मेदार होने का संदेह किया गया था -किसी भी स्थिति में, यह अन्वेषण अधिकारी, अभि.सा.-15 के अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई बाधा पैदा नहीं करता है; कि उसे उस खेत और नहर

तक ले जाया गया जहाँ से बरामदगी की गई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि धारा 27 के तहत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी धारा 8 के तहत लाया जा सकता है -अभियुक्त की निशानदेही पर हड्डियों के अवशेषों की बरामदगी को स्वीकार किया गया, हालांकि उसके कथन के समय, वह पुलिस अभिरक्षा में नहीं था, जो परिस्थितियों की श्रृंखला में केवल धारा 8 के तहत एक कड़ी हो सकती है; परंतु अपराध के साथ उसका संबंध अभी भी अन्यथा सिद्ध किया जाना है -डीएनए प्रोफाइल केवल नहर से बरामद कशेरुका के टुकड़े और दांतों के साथ मेल खाते थे, जबकि खोपड़ी और खेत से बरामद अवशेष, जहां शव को जलाया जाना बताया गया है, माता-पिता से लिए गए नमूनों से मेल नहीं खाते थे -साथ ही, बरामद हड्डियाँ अभि.सा.-7 की एक हरी साड़ी में लिपटी हुई थीं, जिसे साक्षी के कटघरे में रहने के दौरान उसे दिखाकर उसकी पहचान करने का प्रयास नहीं किया गया था। [कंडिका 14-16]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 27 -'अभिरक्षा' -अर्थ:

अभिनिर्धारित किया गया: कि धारा 27 में प्रयुक्त शब्द 'अभिरक्षा' का अर्थ औपचारिक अभिरक्षा नहीं है और इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की निगरानी, प्रतिबंध या अवरोध शामिल है -भले ही कोई औपचारिक गिरफ्तारी न की गई हो, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की निगरानी के दायरे में है, जिसके दौरान उसकी

गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, तो इसे अभिरक्षात्मक निगरानी माना जा सकता है -
वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि प्रदर्शों पी 3 और पी 5 प्रकटीकरण के अनुसार बरामदगी
अभियुक्त के संस्वीकृति कथन, प्रदर्श पी 4 के अनुसार दिनांक 13.10.2018 को
10.30 बजे की गई थी, गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण जापन प्रदर्श पी 27 पर
प्रस्तुत, दिनांक 13.10.2018 को 22.00 बजे अभियुक्त की गिरफ्तारी किया जाना
दर्शाता है। [कंडिका 10, 13]

उद्धृत निर्णय विधि

जफर हुसैन दस्तगीर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य [1970] 2 एस.सी.आर. 332: (1969) 2
एस.सी.सी. 872; धरम देव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य [2014] 8 एस.सी.आर.
650: (2014) 5 एस.सी.सी. 509; आंध्र प्रदेश राज्य विरुद्ध गांगुला सत्य मूर्ति
[1996] सप्लीमेंट 8 एस.सी.आर. 808: (1997) 1 एस.सी.सी. 272; रामकृष्ण
मिथनलाल शर्मा विरुद्ध बॉम्बे राज्य [1955] 1 एस.सी.आर. 903: (1954) 2
एस.सी.सी. 516 -का संदर्भ दिया गया।

दुर्लभ नमशूद्र विरुद्ध सम्राट, 1931 एस.सी.सी. ऑनलाइन कलकत्ता 146 -का
संदर्भ दिया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; साक्ष्य अधिनियम, 1872।

मुख्य शब्दों की सूची

त्रुटिपूर्ण जांच; सौतेला पिता; सौतेली पुत्री की हत्या; अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत; धारा 27, साक्ष्य अधिनियम, 1872; राख और हड्डियों के अवशेष; जले हुए अवशेष; अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना; नहर से बरामद खोपड़ी और दांत; बालिका के नैसर्गिक माता-पिता का नमूना डीएनए प्रोफाइल; अंतर्वेशन; हड्डियों के अवशेषों के डीएनए प्रोफाइल का मृतक बच्ची के नैसर्गिक माता-पिता के डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान; लापता बच्ची; 'शव' बरामद नहीं; मृत्यु का कोई समय निर्दिष्ट नहीं; संदेह का लाभ; अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत विफल; 'अभिरक्षा'।

प्रकरण निम्न से उद्धृत हुआ

दांडिक अपीलीय अधिकारिता: दांडिक अपील संख्या 689/ 2026

दांडिक अपील संख्या 873/ 2021 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.2023 से ।

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अपीलार्थी(गण) के लिए अधिवक्ता:

डॉ. राजेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, सुश्री प्रशस्ति सिंह, सुश्री आयुषी पांडे, उत्सव मदान, सुश्री स्वाति सुरभि।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता:

सुश्री अंकिता शर्मा, अर्जुन डी. सिंह, सुश्री इशिका नियोगी, दिव्या त्रिपाठी।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायाधिपति के. विनोद चंद्रन के द्वारा:

अनुमति प्रदान की गई।

2. एक दोषपूर्ण जांच कई सवाल अनसुलझे छोड़ देती है और वर्तमान प्रकरण

में, एक छह साल की बच्ची की हत्या अनसुलझी रह गई और उसके सौतेले

पिता को केवल अनुमानों के आधार पर कारावास में डाल दिया गया। उच्च

न्यायालय के आक्षेपित निर्णय ने तीन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त,

सौतेले पिता की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की। प्रथम, एक पड़ोसी के

माध्यम से प्रतिपादित 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत। इसके बाद,

अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना पर बरामद की गई बच्ची के जले हुए अवशेषों

से राख और हड्डियों के अवशेष। और अंतिम, एक नहर से बरामद खोपड़ी

और दांतों का बालिका के नैसर्गिक माता-पिता के नमूना डीएनए प्रोफाइल के

साथ मिलान, जिससे मृत्यु स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। उच्च न्यायालय

ने इस पहलू पर भी जोर दिया कि अभियुक्त द्वारा उस स्थान के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जहां से मृतक के हड्डियों के अवशेष बरामद किए गए थे; जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत एक दोषारोपणकारी परिस्थिति है। क्या ये कारक परिस्थितियों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाते हैं जो किसी अन्य परिकल्पना के लिए स्थान छोड़े बिना केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना की ओर ले जाते हैं, यही प्रश्न यहाँ उत्पन्न हो रहा है।

3. हमने अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजेश पांडे और राज्य की ओर से उपस्थित सुश्री अंकिता शर्मा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को सुना है। हम हमारे अवलोकन के लिए एक पेपर-बुक तैयार करने की प्रक्रिया के लिए शासकीय अधिवक्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते, जिसमें स्थानीय भाषा और अनुवाद दोनों सहित संपूर्ण अभिलेख अंतर्विष्ट हैं। पिछले अवसर पर हुई सुनवाई में भी वर्तमान अपराध में गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त की अभिरक्षा के संबंध में गंभीर प्रश्न उठे, जिससे हम दिनांक 14.11.2025 को एक आदेश पारित करने के लिए प्रेरित हुए, जिसमें राज्य को दिनांक 05.10.2025 से 10.10.2025 के बीच अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने और कारावास में रखने का कोई प्रमाण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हमारे आदेश के अनुपालन में राज्य द्वारा दायर दिनांक

08.12.2025 का एक अतिरिक्त शपथपत्र, जिसके द्वारा एक गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, भ्रम को बढ़ाता है, जिससे अपराध के बारे में सत्यता और अधिक संशयपूर्ण हो जाती है।

4. तथ्यों पर यह गौर करना पर्याप्त है कि अभियुक्त अपनी दो पत्नियों और तीन बच्चों के साथ रह रहा था। बच्चों में से एक अभियुक्त की पहली पत्नी से पैदा हुआ था और उसकी दूसरी पत्नी (अभि.सा.-7) के दो बच्ची उसके अभि.सा.-17 के साथ पूर्व विवाह से थे। दिनांक 05.10.2018 को, अभियुक्त और अभि.सा.-7 के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें अभि.सा.-7 के साथ मारपीट की गई। इससे वह अपना वैवाहिक घर छोड़ने और अपने माता-पिता के घर जाने के लिए विवश हो गई। अभि.सा.-7 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके अनुरोध पर, उसकी माँ अभि.सा.-2 पोते-पोतियों को लेने के लिए अपनी पुत्री के ससुराल गई। हालाँकि, उसे अभियुक्त की पहली पत्नी ने बताया कि अभियुक्त छोटे बच्ची को ले गया है। लापता बच्ची को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया और जिला कबीरधाम के सहसपुर लोहारा पुलिस थाने में दिनांक 11.10.2018 को 13.20 बजे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। बाद में, कथित तौर पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के संस्वीकृति कथन पर, दिनांक 13.10.2018 को, अभियुक्त द्वारा पुलिस दल को एक खेत में ले जाना बताया गया है जहाँ से कुछ जली हुई

हड्डियाँ और राख बरामद की गई थी और पास की एक नहर से एक हरी साड़ी में लिपटी खोपड़ी और कुछ हड्डियाँ बरामद की गई थीं।

5. अभि.सा.-1, वह चिकित्सक जिसके सामने हड्डियों के अवशेष प्रस्तुत किए गए थे, ने अवशेषों की रासायनिक जांच का सुझाव दिया, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, अभि.सा.-18 की देखरेख में की गई थी। अनुलग्नक पी 21ए के रूप में चिह्नित न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रतिवेदन से पता चला कि मृतक बच्ची के नैसर्गिक माता-पिता अभि.सा.-7 और अभि.सा.-17 से लिए गए नमूने का डीएनए प्रोफाइल नहर से बरामद कशेरुका और दांतों के डीएनए प्रोफाइल के साथ मेल खाता था; विश्लेषण करने पर खोपड़ी का मिलान नहीं हुआ। अभियुक्त के एक पड़ोसी अभि.सा.-8 की भी परीक्षा यह दिखाने के लिए कराई गई थी कि अभियुक्त बच्ची को मोटर बाइक पर घर से ले गया था, जिससे कथित तौर पर 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत स्थापित हुआ। इस प्रकार, की गई बरामदगी से, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत संभाव्य हुआ और डीएनए प्रोफाइल के मिलान की परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।

6. अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पिछली सुनवाई की तिथि पर विशेष रूप से तर्क दिया कि दिनांक 05.10.2018 को, अभि.सा.-7 के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके कारण दिनांक

05.10.2018 को ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसे दिनांक 08.10.2018 को ही न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया था। हमने दायर किए गए अतिरिक्त शपथपत्र को देखा है, जो इंगित करता है कि अभियुक्त को दिनांक 06.10.2018 को गिरफ्तार किया गया था और अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था; अनुविभागीय दंडाधिकारी के जमानत आदेश के अनुसार अभियुक्त को दिनांक 08.10.2018 को जिला जेल, कबीरधाम से मुक्त किया गया था। शपथपत्र के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक 2, गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन को पढ़ने के बाद, हमें गिरफ्तारी कब हुई, इस पर गंभीर संदेह है। तिथि में स्पष्ट अंतर्वेशन है और यद्यपि प्राथमिकी के स्तंभ संख्या 8 में गिरफ्तारी दिनांक 06.10.2018 को 13.40 बजे दिखाई गई है, स्तंभ संख्या 2 में तिथि और समय को 05.10.2018 और 12.40 से बदलकर 06 या 08.10.2018 और 13.40 कर दिया गया है। तिथि पर अंतर्वेशन प्रस्तुत दस्तावेजों से बहुत स्पष्ट है जो अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में एक युक्तियुक्त संदेह पैदा करता है, जो दिनांक 05.10.2018 को 12.40 बजे हो सकती थी, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रक्षेपित 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के सिद्धांत को गंभीर क्षति पहुँचती है। जो भी हो, हम पहले विचारण में दिए गए साक्ष्यों की जांच इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि प्रत्येक दोषपूर्ण जांच का लाभ अभियुक्त को

तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उससे गंभीर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो और दिया गया साक्ष्य निर्विवाद रूप से दोष की निष्पत्ति पर पहुँचने के लिए पर्याप्त न हो।

7. अभियुक्त की सास अभि.सा.-2 ने अपनी पुत्री और अभियुक्त के बीच झगड़े और उपचार के लिए अस्पताल में अपनी पुत्री के भर्ती होने के बारे में बताया। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह पोते-पोतियों को लाने के लिए पुलिस के साथ अभियुक्त के घर गई थी, जब अभियुक्त की पहली पत्नी ने उसे सूचित किया कि अभियुक्त दूसरे बच्ची को ले गया है। प्रासंगिक रूप से हमें यह देखना होगा कि मुख्य-परीक्षा में कोई तिथि का उल्लेख नहीं है और उसकी पुत्री के पहले बच्ची के ठिकाने बारे में, जो अभियुक्त के साथ ही रह रही थी,, बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया गया है। अभि.सा.-10, अभि.सा.-2 के पति, जो उसके साथ अभियुक्त के घर गए थे, ने अभि.सा.-2 के संस्करण की पूरी तरह से संपुष्टि की परंतु फिर से बिना किसी तिथि के उल्लेख के और पहले बच्ची के ठिकाने के बिना।

8. किसी भी स्थिति में, राज्य के संस्करण के अनुसार भी, अभियुक्त को दिनांक 06.10.2018 को गिरफ्तार किया गया था और केवल दिनांक 08.10.2018 को मुक्त किया गया था। इसकी पूरी तरह से अन्वेषण अधिकारी अभि.सा.-15 द्वारा संपुष्टि की गई है जिन्होंने अभियुक्त की दिनांक 06.10.2018 को

गिरफ्तारी, उसकी रिमांड और बाद में दिनांक 08.10.2018 को मुक्त किये जाने के बारे में बताया। अभि.सा.-8 के माध्यम से अंतर्वेशनित 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत इंगित करता है कि बच्ची को अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था, इस परिस्थिति में, अपराध दिनांक 05.10.2018 को या 06.10.2018 को अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले होना घटित होना चाहिए था। बच्ची के न मिलने के बावजूद, अभि.सा.-2, अभि.सा.-7 और अभि.सा.-10 ने गुमशुदगी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया, और पहली प्राथमिकी दिनांक 11.10.2018 को दर्ज की गई थी, जब अभि.सा.-7 अभियुक्त के साथ पुलिस थाने आई और लापता बच्ची के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। यह विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि मारपीट की घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, जो उसी दिन अभि.सा.-2 के साथ अभियुक्त के घर गई थी, जब उन्हें बताया गया था कि बच्ची अभियुक्त के साथ गयी है।

9. अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद, पुलिस के संस्करण को स्वीकार करने पर भी, दिनांक 06.10.2018 को, यह अजीब है कि लापता बच्ची के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। इसके अलावा गुमशुदगी की शिकायत बहुत बाद में दिनांक 11.10.2018 को दर्ज की गई बताई गई है। सहसपुर लोहारा पुलिस थाने के उप-निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना विवरण अभि.सा.-2 द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, जो अपने पति के साथ आई थी। प्रथम

सूचना विवरण में बताया गया मौखिक प्रतिवेदन यह था कि छह वर्षीय बच्ची दिनांक 06.10.2018 को रात 09.00 बजे लापता हो गयी थी। स्पष्ट रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद, अभिलेख में दर्ज ये पहलू अभि.सा.-8 के माध्यम से अंतर्वेशनित 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत की अभियोजन की कहानी को जोखिम में डालते हैं। अभियुक्त के एक पड़ोसी अभि.सा.-8 ने भी न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दिनांक 05.10.2018 के सात दिन बाद पुलिस को यह जानकारी स्वेच्छा से दी थी; जब पहले से ही उक्त पहलू मृतक बच्ची की माँ और दादा-दादी के साथ-साथ पुलिस को भी पता था, क्योंकि अभियुक्त की पहली पत्नी द्वारा दिनांक 05.10.2018 को ही जानकारी दी गई थी। इसलिए 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत बुरी तरह विफल होता है।

10. अब हम धारा 27 के तहत कथित रूप से की गई बरामदगी पर आते हैं, जो भी विसंगतियों से भरी है जैसा कि हम अभी दर्शाएंगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत ज्ञापन पी 4 इंगित करता है कि इसे दिनांक 13.10.2018 को सुबह 10.30 बजे तैयार किया गया था। उक्त ज्ञापन में केवल स्वीकार्य भाग है: 'मैं आपको वह स्थान दिखाऊँगा... जहाँ उसकी हड्डियाँ और राख हैं और वह स्थान जहाँ उसकी खोपड़ी और हड्डियाँ थीं..' (सुधार)। अभियुक्त द्वारा पुलिस को पहले एक खेत

में ले जाया गया जहाँ से सुबह 10.55 बजे राख के साथ हड्डियाँ बरामद की गईं, जिसका प्रमाण संपत्ति जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी 5 है। नहर की तलाशी तीन मछुआरों अभि.सा.-3 से द्वारा की गई जिन्होंने ऊपरी जबड़े के 8 दांतों वाली खोपड़ी और हरे रंग की साड़ी में लिपटा हुआ हड्डी का एक टुकड़ा बरामद किया, जिनमें से सभी जलने के साक्ष्य दिखा रहे थे जैसा कि दिनांक 13.10.2018 को 13.00 बजे संपत्ति जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी 3 में इंगित किया गया है। यद्यपि प्रदर्श पी 3 और पी 5 ज्ञापनों के अनुसार बरामदगी अभियुक्त के संस्वीकृति कथन, प्रदर्श पी 4 के अनुसार 13.10.2018 को 10.30 बजे की गई थी, प्रदर्श पी 27 पर प्रस्तुत गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन दिनांक 13.10.2018 को 22.00 बजे अभियुक्त की गिरफ्तारी होना दर्शाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 स्पष्ट रूप से पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना के बारे में बात करती है जिससे किसी तथ्य की खोज होती है जिसका विचारण में प्रमाण सक्षम हो सके। कथन के समय अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था और इसलिए यह धारा 27 के दायरे से बाहर है।

11. धारा 27, जैसा कि **जफर हुसैन दस्तगीर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**¹ के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है, वास्तव में धारा 26 का एक परंतुक है जो

अभियुक्त के कथन के उस हिस्से को स्वीकार्य बनाता है जो उसके द्वारा अभिसाक्षित किया गया है, जिससे अभिसाक्षित तथ्य की खोज होती है और अपराध से जुड़ा होता है, चाहे वह संस्वीकृति हो या अन्यथा। उपबंध का आवश्यक घटक यह है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से किसी तथ्य की खोज होनी चाहिए जो ऐसी सूचना का प्रत्यक्ष परिणाम हो। दूसरा, दी गई सूचना का केवल वही हिस्सा जो उक्त बरामदगी से विशिष्ट रूप से जुड़ा है, अभियुक्त के विरुद्ध स्वीकार्य है। तीसरा, तथ्य की खोज कथित अपराध के होने से संबंधित होनी चाहिए।

12. इस प्रकरण जैसी ही स्थिति कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष **दुर्लभ नमशूद्र विरुद्ध सम्राट²** के प्रकरण में उत्पन्न हुई थी जिसमें शव की खोज करने वाली सूचना अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में लिए जाने से पहले दी गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 27 धारा 24 से 26 को नियंत्रित करती है और इसके लागू होने से पहले जो पहली बात सुनिश्चित की जानी है वह यह है कि क्या सूचना पुलिस की अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्ति से मिली थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि सूचना ऐसे व्यक्ति से मिली जो पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था, तो उसे धारा 27 के तहत नहीं लाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने एक सहमतिपूर्ण निर्णय

पारित किया, परंतु इस बात पर खेद व्यक्त किया कि धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए उस कथन पर भरोसा करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जिससे किसी तथ्य का पता चलता है, जब जानकारी देने वाला व्यक्ति हिरासत में हो—जिसे अपने आप में एक बेतुकी बात होना भी माना गया।। हालाँकि, यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक विधायिका इस प्रकरण पर विचार नहीं करती और उपबंध को संशोधित नहीं करती, तब तक व्यक्त किया गया विरोधाभास कानून बना रहेगा।

13. इस स्थिति को **धरम देव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**³ के प्रकरण में कुछ हद तक स्पष्ट किया गया है, जो एक पर्यटक गाइड द्वारा एक विदेशी नागरिक की हत्या से संबंधित था। अन्वेषण अधिकारी को सूचना मिली कि गाइड एक ट्रेन से आ रहा है, वह रेलवे स्टेशन पहुँचा और उसे प्लेटफॉर्म पर रोक लिया। पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने पीड़िता की हत्या कर दी थी और शव उसके घर में दबा दिया गया था। इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त के घर ले जाया गया जहाँ से अभियुक्त ने कंकाल खोदकर निकाला जो बाद में पीड़िता का सिद्ध हुआ। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 27 में प्रयुक्त शब्द 'अभिरक्षा' का अर्थ औपचारिक अभिरक्षा नहीं है और इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की

निगरानी, प्रतिबंध या अवरोध अंतर्विष्ट है। आंध्र प्रदेश राज्य विरुद्ध गांगुला सत्य मूर्ति⁴ के प्रकरण का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही कोई औपचारिक गिरफ्तारी न की गई हो, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की निगरानी के दायरे में है, जिसके दौरान उसकी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, तो इसे अभिरक्षात्मक निगरानी माना जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही कंकाल की बरामदगी धारा 27 के संदर्भ में नहीं थी, इस आधार पर कि कथन किए जाने के दौरान अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था, यह 'अधिनियम की धारा 8 के तहत कृत्य' के रूप में स्वीकार्य होगा। उस प्रकरण में अभियुक्त के पास अपने ही घर में दबे हुए कंकाल के लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

14. वर्तमान प्रकरण में, प्राथमिकी दिनांक 11.10.2018 को 13.20 बजे दर्ज की गई थी और तथाकथित धारा 27 का कथन दिनांक 13.10.2018 को 10.30 बजे दर्ज किया गया था, जिसके बाद बरामदगी की गई और गिरफ्तारी 13 तारीख की रात को बाद में की गई। ऐसा प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है जिससे यह पता चले कि अभियुक्त, जो अपनी पत्नी के साथ लापता होने की शिकायत दर्ज कराने गया था, पर बच्ची

के लापता होने के लिए जिम्मेदार होने का संदेह भी किया गया था। किसी भी स्थिति में, यह अन्वेषण अधिकारी अभि.सा.-15 के अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई बाधा पैदा नहीं करता है; कि उसे उस खेत और नहर तक ले जाया गया जहाँ से बरामदगी की गई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि यह धारा 27 के तहत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत इसे लाया जा सकता है।

15. **रामकृष्ण मिथनलाल शर्मा विरुद्ध बॉम्बे राज्य⁵** के प्रकरण का संदर्भ भी उपयुक्त होगा। उसमें घातक हथियारों का उपयोग करके डकैती करने का आरोप था। अन्वेषण अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया कि पहले अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना पर, वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ उसने बाली राम को पहले अभियुक्त द्वारा बताए गए घर के मिट्टी के फर्श से एक टिन का डिब्बा खोदने के लिए कहा, जिससे तीन रिवाल्वर और जिंदा कारतूस बरामद हुए। चूंकि अन्वेषण अधिकारी ने पहले अभियुक्त द्वारा दी गई विशिष्ट सूचना पर अभिसाक्ष्य नहीं दिया था,, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 27 की कार्यवाही भले ही आकर्षित न हो, परंतु प्रथम दृष्टया उस साक्ष्य को पहले अभियुक्त के विरुद्ध स्वीकार किए जाने से

निवारित करने के लिए कुछ भी नहीं था। हम उद्धृत निर्णय की कंडिका 33

को यहाँ उद्धृत करते हैं:

"33. पुलिस अधिकारी का साक्ष्य निस्संदेह यह दर्शाता है कि अभियुक्त को उसके द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य के अस्तित्व का पता था। परंतु यह आवश्यक रूप से अपराध के साथ उसके प्रत्यक्ष संबंध को नहीं दिखाता है। यह साक्ष्य की श्रृंखला में केवल एक कड़ी होगी जिसे अन्य साक्ष्य के साथ जोड़ने पर उसके संबंध को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए यह परिस्थिति काफी अबाधक होगी, और निश्चित रूप से धारा 27 की कार्यवाही को आकर्षित किए बिना उस परिस्थिति का साक्ष्य दिया जा सकता है।"

[जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित]

इसलिए, हम अभियुक्त की निशानदेही पर हड्डियों के अवशेषों की बरामदगी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हैं, हालांकि उसके कथन के समय, वह पुलिस अभिरक्षा में नहीं था, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत परिस्थितियों की श्रृंखला में केवल एक कड़ी हो सकती है; परंतु अपराध के साथ उसका संबंध अभी भी अन्यथा सिद्ध किया जाना है।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा अंतर्वेशनित अगली परिस्थिति हड्डियों के अवशेषों के डीएनए प्रोफाइल का मृतक बच्ची के नैसर्गिक माता-पिता के डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान है। हमें विशेष रूप से यह देखना होगा कि डीएनए प्रोफाइल केवल नहर से बरामद कशेरुका के टुकड़े और दांतों के साथ

मेल खाते थे, जबकि खोपड़ी और खेत से बरामद अवशेष, जहां शरीर को जलाया जाना बताया गया है, माता-पिता से लिए गए नमूनों से मेल नहीं खाते थे। इस संदर्भ में, हमें यह भी देखना होगा कि बरामद हड्डियाँ अभि.सा.-7 की एक हरी साड़ी में लिपटी हुई थीं, जिसे साक्षी के कटघरे में रहने के दौरान उसे दिखाकर उसकी पहचान करने का प्रयास नहीं किया गया था।

17. अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि डीएनए नमूनों के मिलान को धारा 313 की पूछताछ में अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया था। अभि.सा.-18 वह वैज्ञानिक अधिकारी थे जिन्होंने नहर से लिए गए हड्डी और दांतों के अवशेषों के डीएनए प्रोफाइल के साथ नमूनों के मिलान के बारे में बताया। प्रश्न संख्या 157 विशेष रूप से मृतक के माता और पिता के रक्त के नमूनों के संबंध में था जिन्हें सी1 और सी2 के रूप में चिह्नित किया गया था। प्रश्न संख्या 158 में प्रदर्श ए (विशेष रूप से ए-02) और प्रदर्श बी डीएनए प्रोफाइल के बारे में बताया गया था और यह कि एलील्स(जेनेटिक तत्व) का प्रदर्श सी के डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान पाया गया था। प्रश्न संख्या 159 में विशेष रूप से अभियुक्त को कशेरुका के बारे में बताया गया था जिसे ए2 के रूप में चिह्नित किया गया था और डीएनए परीक्षण के अधीन किया गया था। हमारा अभिमत है कि प्रश्न संख्या

157 से 159 में अभियुक्त को डीएनए प्रोफाइल के मिलान के बारे में बताया गया था, जिसके उत्तर में उसने साफ़ इनकार कर दिया था।

18. अभी तक, हम केवल दो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, अभियुक्त का उस स्थान के बारे में ज्ञान जहाँ से बच्ची की हड्डियों के अवशेष बरामद किए गए थे और उनमें से कुछ का बच्ची के नैसर्गिक माता-पिता के डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान। जो निस्संदेह स्थापित हुआ है वह केवल उस बच्ची की मृत्यु है जिसके कशेरुका और दांत, जो एक नहर से बरामद किए गए थे, नैसर्गिक माता-पिता से लिए गए नमूने से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान खाते हैं। अभियुक्त का ज्ञान, जिसके कारण हड्डियों के अवशेषों का पता चला, यद्यपि धारा 27 के तहत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी धारा 8 के तहत स्वीकार्य साक्ष्य होगा, जो अपने आप में दुर्बल साक्ष्य है। धारा 8 के तहत साक्ष्य केवल संपुष्टि प्रदान कर सकता है और अपने आप में दोषसिद्धि का परिणाम नहीं हो सकता। अभियुक्त की पिछली गिरफ्तारी और कारावास के संबंध में शंका भी बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के दोष की परिकल्पना खोजने में गंभीर समस्या पैदा करेगा। लंबी अवधि जब लापता बच्ची के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी और यह तथ्य कि किसी ने अभियुक्त से पूछताछ नहीं की थी, इसके बावजूद कि परिवार और पुलिस को बताया गया था कि वह अभियुक्त के साथ गई थी, इस प्रकरण को अभियुक्त के पक्ष में

झुका देता है; विशेष रूप से चूंकि उसे दिनांक 08.10.2018 को मुक्त कर दिया गया था, प्राथमिकी दर्ज होने से दो दिन पहले। यह भी प्रासंगिक है कि चूंकि 'शव' बरामद नहीं हुआ था, इसलिए मृत्यु का कोई समय निर्दिष्ट नहीं है। इसलिए हम अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं, और उसे आवश्यक रूप से संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

19. अपील स्वीकार की जाती है। अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला विचारण न्यायालय का आदेश और उसकी पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। अभियुक्त को तत्काल मुक्त किया जाये, यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो।

20. इससे पहले कि हम प्रकरण से पृथक हो, हम विद्वान शासकीय अधिवक्ता की सावधानीपूर्वक तैयारी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने जांच में बड़ी खामियों के बावजूद दृढ़ता के साथ तर्क प्रस्तुत किये। हम यह टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकते कि यदि जांच राज्य के अधिवक्ता की तैयारी जितनी ही अच्छी होती, तो उस गरीब बच्ची के लापता होने और मृत्यु पर रहस्य का पर्दा फाश किया जा सकता था। हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने राज्य को जांच के अकुशल प्रबंधन को प्रभावी ढंग से सामने लाने के लिए प्रेरित किया।

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निराकृत माने जाएंगे।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

शीर्ष-टिप्पणियाँ तैयार की गई : दिव्या पांडे द्वारा